# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), *E-mail ID- academicprsu3@gmail.com*


क्रमांक : 4456 /अका./**2024** रायपुर, दिनांक : 14 /**11/2024**

## ।। अधिसूचना ।।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.10.2024 में विषय क्रमांक 09 तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.10.2024 के पूरक विषयसूची क्रमांक 1 में संशोधन अधिसूचना क्र. 4203/अका./पाठ्यक्रम/2024 रायपुर दिनांक 30/08/2024 द्वारा अध्यादेश क्रमांक–170 के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बाह्य परीक्षा के पूर्णांक 70 करने के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में प्रचलित प्रश्नपत्र प्रतिरूप को सत्र 2024–25 से प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रभावशील किये जाने हेतु समिति द्वारा प्रचलित Question Paper Pattern एवं इसमें आ रही कठिनाइयों के संबंध में विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

i. प्रश्नपत्र के पूर्णांक पाठ्यक्रम योजना अनुसार होगा ।
ii. प्रश्नपत्र 3 खण्ड (खण्ड अ, खण्ड ब एवं खण्ड स) में विभक्त होगा।
iii. सभी खण्ड में प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे ।
iv. खण्ड अ तथा खण्ड ब के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे ।
v. खण्ड स में आन्तरिक विकल्प दिया जाएगा ।

प्रश्नपत्र में प्रश्न एवं अंकों का विभाजन पूर्णांक 70 के आधार पर निम्नानुसार होगा:–

**पूर्णांक 70 अंक हेतु :–**

| प्रश्नपत्र प्रतिरूप | खण्ड | कुल प्रश्न | प्रति प्रश्न अंक | कुल अंक |
|---|---|---|---|---|
| बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर | A | 5 अथवा10 | 2 अथवा 1 | 10 |
| लघुउत्तरीय (100 शब्द) | B | 4 अथवा 5 | 5 अथवा 4 | 20 |
| दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (350 शब्द) | C | 4 अथवा 5 | 10 अथवा 8 | 40 |
| **कुल अंक** | | | | **70** |

**पूर्णांक 100 अंक हेतु :–**

प्रश्नपत्र में प्रश्न एवं अंकों का विभाजन पूर्णांक 100 के लिए विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 862/अका./2023 रायपुर दिनांक 04/10/2023 एवं अधिसूचना क्र. 2363/अका./2023 रायपुर दिनांक 15/01/2024 के आधार पर यथावत रहेगा।"

आदेशानुसार,

14/11/24

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 4857 /अका./2024 रायपुर, दिनांक : 14/11/2024

**प्रतिलिपि :-**

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
05. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय,
06. समस्त विभागीय अधिकारी,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
    पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप-कुलसचिव (अका.)